Title: Need for legislation to ban cow slaughter in the country.

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : महोदय, देश भर में गोहत्या रोकने हेतु केन्द्रीय कानून बनाने के लिए आज़ादी के अनेक नेता तथा सैनिकों ने बार-बार आज़ादी से पहले एवं बाद में मांग की है। देश की लगभग तमाम धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संस्थायें भी गोहत्या रोकने की मांग कर रही हैं। लेकिन आज़ादी के पचास वर्ष बाद भी देश में गोहत्या रोकने हेतु कानून नहीं बना। हाल ही में गुजरात भर में गोहत्या विरोधी अभियान गाय, बछड़ों एवं बैलों को बचाने के लिए 15.1.2000 से चल रहा है और गोहत्या के बारे में " प्रिवेन्शन ऑफ एण्टी सोशल एक्टिविटी एक्ट " की मांग कर रहे हैं जिसमें विभिन्न संस्थाएं सहयोग दे रही हैं और केन्द्र का ध्यान खींच रहे हैं ताकि केन्द्र ऐसा कानून बनाये जिससे गुजरात एवं देश में अन्य जगह गाय, बछड़े और बैल वगैरह की गैर-कानूनी हत्या को रोका जा सके।

अतः जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए मेरी केन्द्र सरकार से पुरजोर मांग है कि देश में गोहत्या रोकने के लिए फौरन केन्द्रीय कानून बनाया जाए।